	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 08, बुधवार, *शाके* 1946-मई 29, 2024 *Jyaistha 08, Wednesday , Saka 1946- May 29, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वित्त (आबकारी) विभाग

आज्ञा

जयपुर, मई 29, 2024

संख्या प.4(1)वित्त/आब/2024 :-विभागीय समसंख्यक आज्ञा दिनांक 1 फरवरी, 2024 की निरन्तरता में मदिरा दुकानों के वर्ष 2024-25 के बन्दोबस्त हेतु निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है:-

"ऑनलाईन ई-बिड के पश्चात भी आवंटन से शेष रही मदिरा की खुदरा दुकानों के समूहों (Cluster) का निर्माण कर, मदिरा दुकानों के समूहों (Cluster) को ऑनलाईन नीलामी अथवा ई-बिड के माध्यम से आवंटित किया जा सकेगा। एक समूह (Cluster) में संस्पर्शी (Contiguous) क्षेत्र की अधिकतम 5 पडत दुकानों को सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रक्रिया द्वारा मदिरा दुकानों के आवंटन की स्थिति में नीति के बिन्दु संख्या 2.6.4 की शर्त लागू नहीं होगी।"

राज्यपाल की आज्ञा से,

जसवंत सिंह,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।